न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00146 (146/2019)

ईमरताराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

---अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुन्दर देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. गंगाजल
3. केसराराम
4. बृजाराम

(2–4) पि0 गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।
6. उप पंजीयक महोदय, नोहर।

-- रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 19.07.2019 प्र. सं. 146/2018
अनवान इमरताराम बनाम सुन्दरदेवी आदि

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

उपस्थितिः–

श्री मनीराम सरावग, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक ... 09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो... ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र ... मौजा सांगठिया का ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नं0 124 की 6.1210 है0 भूमि आराजी राज थी। जिसकी काफी मेहनत करके सायल ने उपजाउ बनाया जिसके लगभग 70 सालों से काश्त करता आ रहा है। जिसकी आवंटन प्रक्रिया सायल ने की थी तथा समस्त राशि सायल ने ही जमा करवाई थी लेकिन परिवार में बड़ा होने के कारण उक्त भूमि भोपालराम के नाम दर्ज हो गई। उसने यह भूमि अपने लड़के गोपीराम की पत्नी तथा लड़कों के नाम करवा जिससे सायल के हकों का हनन होता है। इसलिए सायल न्यायालय से यह घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि वह सायल का नाम कलमजन किया जाकर सायल का नाम दर्ज किया जावे। गैरसायल जमाबंदी में अंकन का फायदा उठाकर सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता है एवं भूमि को कभी भी रहन बैय कर सकता है, इसलिए गैर सालय को पाबंद किया जावे।

2. गेरसायल सं0 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नही है। यह किसी श्रेणी का टिनेन्ट नहीं है। ख0 नं0 38 की 25 बीघा भूमि भोलालाराम के कब्जा काश्त में थी तथा उसे 01.07.1968 को आवंटित कर दी गई थी। भोपालाराम ने यह स्वअर्जित भूमि गैर सालय नं0 1 ता 4 की सेवा से प्रसन्न होकर दानपात्र के जरिये दान कर दी है जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है। गैर सायल सं0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है। आवंटन आदेश एवं दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिकार्डेड खातेदार को विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा में भोपालाराम जो कि परिवार में बड़ा तथा कर्ता खानदान था घर का लेन–देन वही रखता था इसलिए यह भूमि अकेले के नाम दर्ज करवा [illegible] इस में वादी का भी हक हिस्सा है तथा इस भूमि पर आवंटन के बाद लगा[illegible] इमरताराम व उसके अन्य भाईयों का कब्जा है इसलए भोलाराम के अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर यह भूमि उसने अपने पोतों व पुत्रवधु के नाम दर्ज करवादी तथा अब

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

ये लोग भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अपीलाण्ट ने जरिये दस्तावेज साक्ष्य व सबूतों के अपना पक्ष साबित कर दिया था तथा दावा वास्ते तनकीयात चल रहा है तथा बाकी बातें दावा में तय हौनी थी फिर भी मातहत अदालत ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने की भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नही है। यह किसी श्रेणी का टिनेन्ट नहीं है। ख0 नं0 38 की 25 बीघा भूमि भोपालाराम के कब्जा काश्त में थी तथा उसे 01.07.1968 को आवंटित कर दी गई थी। भोपालाराम ने यह स्वअर्जित भूमि गैर सालय नं0 1 ता 4 की सेवा से प्रसन्न होकर दानपात्र के जरिये दान कर दी है जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है। गैर सायल सं0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है। आवंटन आदेश एवं दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिकार्डेड खातेदार को विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खाजिर की जावें

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट/प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को साबित करना जरूरी हैः–

(1) प्रथम दृष्टया मामलाः– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी 2073–2076 में प्रश्नगत भूमि भोपालाराम के नाम दर्ज है जिसने जिसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये दानपत्र सुन्दर देवी पत्नी गोपलराम, गंगाजल, केसराराम बृजाराम को दे दी है। जिसका इन्तकल सं0 597 दिनांक 06.0.2018 भी दर्ज हो चुका है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 ता 5 प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। आवंटन आदेश एवं दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। रिकार्डेड खातेदार को विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में नही है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

(2) सुविधा का सन्तुलनः– चूंकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। यदि इनके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अपीलाण्ट की बजाय रेस्पोडेण्ट को अधिक असुविधा होगी वह अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित रह जायेंगे। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है।

(3) अपूर्णीय क्षतिः–रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। यदि इनके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेंगे और उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है।

अपीलाण्ट उक्त तीनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः अपीलाण्ट अपील के द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलधीन आदेश दिनांक 19.07.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/2021
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested